न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/40/2019

1. बद्रीसिंह पुत्र स्व. श्री अमरलाल उम्र 64 वर्ष, जाति रावणा राजपूत, निवासी सरदार समंद फार्म, पो. दुदिया, तहसील रोहट, जिला पाली
2. जयसिंह पुत्र स्व. श्री अमरलाल, उम्र 54 वर्ष, जाति रावण राजपूत, निवासी सरदार समंद फार्म, पो. दुदिया, तहसील रोहट, जिला पाली
3. श्रीमती सोनीदेवी पत्नी स्व. श्री अमरलाल जी उम्र 88 वर्ष, जाति रावणा राजपूत, निवासी सरदार समंद फार्म, पो. दुदिया, तहसील रोहट, जिला पाली
4. श्रीमती पानीदेवी पत्नी श्री बंशीसिंहजी पुत्र स्व. श्री अमरलालजी, उम्र 67 वर्ष जाति रावणा राजपूत, निवासी गिरादडा खालसा तहसील व जिला पाली
5. श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री नाथुसिंहजी पुत्री स्व. श्री अमरलालजी उम्र 59 वर्ष, जाति रावणा राजपूत, निवासी 937,सी, व डी रोड सरदारपुरा, जोधपुर
6. श्रीमती छोटूदेवी पत्नी श्री चंद्रसिंहजी पुत्री स्व. श्री अमरलाल जी उम्र 57 वर्ष, जाति रावणा राजपूत, निवासी सोमनाथ मार्ग, पाली तहसील व जिला पाली

...... अपीलार्थीगण

ब ना म

1. हिज हाईनेस श्री महाराजा साहब श्री गजसिंहजी साहब, पता :– उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर (राज.)
2. राज. राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राज.)

...... रेस्पोडेण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. सरकारी पैरोकार।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या एक बाद तामील अनुपस्थिति।

निर्णय दिनांक : 16/01/2020

1. उपरोक्त अपील धारा 223 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली बमुकदमा राजस्व वाद संख्या 40ए/16 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.19 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस पेश की गई, साथ ही मौखिक बहस भी की गई। अपीलार्थी व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया था कि ग्राम भांबोलाई के खसरा नम्बर 23 में अपीलाण्ट के कब्जे–काश्त की 50 बीघा भूमि वाद–पत्र के पद संख्या एक में वर्णित अनुसार स्थित है, जिस पर अपीलाण्ट का 50–55 वर्षों से लगातार अपने पूर्वजों के समय से कब्जा–काश्त है। यह जमीन रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने दिनांक 24.12.69 को विधिवत् दस्तावेज के जरिए अपीलाण्ट के पूर्वज अमरलालजी को सुपुर्द की थी, उक्त दस्तावेज के द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया था। यह आदेश रेस्पोडेण्ट संख्या एक के कण्ट्रोलर ऑफ हाउस होल्ड, मारवाड़ जोधपुर दरबार की ओर से जारी किया गया था तब से कब्जा–काश्त लगातार अपीलार्थी का ही है। उक्त आदेश द्वारा दिनांक 5.4.91 को तहसीलदार के समक्ष म्यूटेशन खोलने के लिए आवेदन भी किया था, जिस पर पटवारी की रिपोर्ट मांगी गई। पटवारी द्वारा यह कहा गया कि लिखत अनरजिस्टर्ड है इसलिए म्यूटेशन स्वीकृत नहीं हो सकता है। सन् 1992 में समस्या समाधान शिविर में रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से श्री जिला कलेक्टर महोदय, पाली को इस संबंध में खातेदारी देने बाबत लिखा गया था कि जिन–जिन व्यक्तियों को भूमि का कब्जा दिया गया है, उनके नाम म्यूटेशन कर दिया जावें, फिर भी म्यूटेशन नहीं किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या एक के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिकारी व कर्मचारी कब्जा हटाने आये थे। हर वर्ष अपीलाण्ट ही काश्त करता है एवं फसल लेता है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक का कभी भी कब्जा–काश्त नहीं रहा है। खसरा नम्बर 23 बड़ा रकबा है, जिसमें अपीलाण्ट के अलावा कई व्यक्तियों का अलग–अलग रकबे पर कब्जा है। इसका लगान भी सभी काबिज व्यक्ति काबिज रकबे अनुसार राज्य सरकार को शुरू से ही अदा करते आ रहे है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने लिखित में पत्र जिला कलेक्टर व तहसीलदार को दिया था कि लगान सभी काबिज व्यक्तियों से वसूल किया जावें। अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार देने एवं कब्जा अपीलाण्ट का होने बाबत भी रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने पूर्व में राज्य सरकार व जिला कलेक्टर को लिखा था। अपीलाण्ट का कब्जा वाद के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित भूमि पर लगातार चला आ रहा है इसलिए विधिनुसार अपीलाण्ट उपरोक्त भूमि की खातेदारी पाने का अधिकारी है, साथ ही अपीलाण्ट के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग में रेस्पोडेण्ट संख्या एक दखल नहीं करें, इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी की ओर से साक्ष्य के रूप में शपथ–पत्र पेश किया गया था। रेस्पोडेण्ट्स की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

3. रेस्पोडेण्ट की ओर से एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त भूमि वर्तमान में रेस्पोडेण्ट संख्या एक के खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी, सोजत के न्यायालय में पूराने एवं नए सीलिंग कानून के तहत प्रकरण संख्या 35/71 व 227/73 लंबित है इसलिए सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 36 अनुसार वाद सुनवाई की अधिकारिता नहीं है इसलिए वाद खारिज किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त आवेदन का अपीलाण्ट की ओर से विधिवत् जवाब पेश किया गया था तथा दौराने बहस इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1991 आर.आर.डी. पेज 397 एवं 1985 आर.आर.डी.

पेज 96 पेश किए थे, जिसमें माननीय राज. उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्ड़ल, अजमेर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 36 सीलिंग अधिनियम केवल उसी मामले में लागू होते हैं, जब प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सीलिंग मुकदमे में दिए गए निर्णय को सिविल अथवा राजस्व न्यायालय में कोई व्यक्ति चुनौती देता है अन्य किसी प्रकरण में सिविल अथवा राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित नहीं है, साथ ही खातेदारी अधिकार एवं घोषणा हेतु राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने पर किसी प्रकार का वर्जन नहीं होने बाबत भी फाईन्डिंग दी गई थी।

5. वकील अपीलाण्ट ने धारा 36 के बाबत निवेदन किया कि, ''धारा 36 सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन – (1) किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न अथवा मामले को विनिश्चित करने या उसमें कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राधिकृत अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय अथवा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (2) किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को भूमि अंतरण के किसी संविदा के यथावत् पालन के निमित किसी ऐसे वाद को ग्रहण करने अथवा उसमें कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी, जो इस अधिनियम के अधीन अधिशेष भूमि पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रभावित करता है।''

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

6. उपरोक्त धारा 36(1) में दिए गए प्रावधान अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए जाने वाले विनिश्चय अथवा कार्यवाही के प्रश्न एवं मामले को विनिश्चित करने की अधिकारिता सिविल व राजस्व न्यायालय को नहीं होने बाबत प्रावधान है। इसी तरह धारा 36(2) में किसी अंतरण की संविदा के पालन का वाद सिविल व राजस्व न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। उपरोक्त धारा 36 के दोनों उपधारा में इस बाबत कहीं भी रोक अथवा वर्जन नहीं है कि किसी तीसरे व्यक्ति के

खातेदारी अधिकार विधिनुसार उत्पन्न हो गए हो, तो वह उसकी घोषणा का वाद पेश नहीं कर सकता हो।

7. अपीलाण्ट ने न्यायिक दृष्टांत 1991 आर.आर.डी. पेज 397, 1985 आर.आर.डी. पेज 96, 1980 आर.आर.डी. पेज 93 एवं धारा 19(1एए) के प्रावधान पेश किए और यह बताया कि दिनांक 29.12.79 को टिनेन्सी एक्ट में उक्त धारा जोड़ी गई है, जिस अनुसार जो व्यक्ति दिनांक 31.12.69 को वार्षिक रजिस्टर में खुद काश्त का टिनेन्ट या सब टिनेन्ट दर्ज है या कोई व्यक्ति वार्षिक रजिस्टर में दर्ज नहीं है, लेकिन खुद काश्त का टिनेन्ट अथवा सब टिनेन्ट है, तो उसे खातेदारी अधिकार दे दिए जाएंगे। इसके अलावा वकील अपीलाण्ट ने धारा 19(2ए) व 19(3) राज. टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों एवं 1987 आर.आर.डी. पेज 304, 1988 आर.आर.डी पेज 585 के न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए निवेदन किया कि इस संबंध में खातेदारी उद्घोषणा का वाद लाने हेतु किसी प्रकार की कोई मयाद नहीं है और धारा 19 के तहत कोई व्यक्ति अंदर मयाद आवेदन नहीं करता है, तो भी वह खातेदारी का ही दावा कर सकता है।

8. वकील अपीलाण्ट ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो द्वारा अनेकानेकबार वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् अनुसार अपीलाण्ट का कब्जा व काश्त होना स्वीकार करते हुए खातेदारी अधिकार दिए जाने की अनुशंषा की है एवं लगान भी अपीलाण्ट से काबिज भूमि का सन् 1963 से आज दिनांक तक वसूल करते आ रहे हैं। उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमिधारी को काबिज व्यक्तियों की सूची, जो रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी, उसमें वर्णित व्यक्तियों से लगान वसूल किए जाने बाबत आदेश पारित किया गया था, जिसकी अनुपालना में भूमिधारी द्वारा काबिज व्यक्ति अपीलाण्ट वगैरह से लगान अब तक वसूला गया है। लगान केवल खातेदार से ही वसूल कर सकते हैं इस कारण से भी अपीलाण्ट खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

9. इसके अलावा अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त समान मामले अर्थात् इसी अपील में वर्णित खसरे की भूमि के संबंध में अन्य व्यक्तियों द्वारा अलग–अलग 8 वाद–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किए थे, जहां से खारिज होने पर 8 अलग–अलग अपीलें श्रीमान् के न्यायालय में अपील संख्या 35/14 से 42/14 पेश हुई थी, जो श्रीमान् के न्यायालय द्वारा दिनांक 4.7.14 को निर्णित होकर स्वीकार करते हुए उपरोक्त प्रकरणों में वर्णित व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिए जाने बाबत निर्णय व डिक्री पारित किए गए थे, जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं हुई एवं वे निर्णय व डिक्री अंतिम रहे। उपरोक्त अपीलें भी समान तथ्यों पर, समान भूमि के संबंध में, समान पक्षकारों के बीच है इस कारण से भी अपील स्वीकार योग्य है।

10. समान मामलों में ही अन्य व्यक्तियों द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या एक की भूमि के संबंध में सहायक कलेक्टर, पाली के न्यायालय में वाद संख्या 22/95 बनेकंवर बनाम महाराजा गजसिंह और वाद संख्या 23/95 भरतसिंह बनाम महाराजा गजसिंह दिनांक 12.3.99 को डिक्री किए गए और इसी आधारों पर खातेदारी अधिकार दिए गए, जिसका राजस्व रेकर्ड में अंकन हो चुका है और निर्णय व डिक्री को आज दिनांक तक कभी भी चुनौती नहीं दी गई है इस कारण भी अपील स्वीकार योग्य है।

11. सरकारी पैरोकार की ओर से निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिवत् पारित किए गए हैं। जब तक सीलिंग का मामला लंबित है, तब तक खातेदारी घोषणा का वाद पोषणीय नहीं है इस कारण से अपील मय खर्चा खारिज की जावें।

12. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम धारा 19(1एए), 19(2ए), 19(3) राज. टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। धारा 19(1एए) को दिनांक

29.12.79 को संशोधन के जरिए जोड़ी गई है, जिस अनुसार जो व्यक्ति दिनांक 31.12.69 को वार्षिक रजिस्टर में खुद काश्त का टिनेन्ट या सब टिनेन्ट दर्ज है अथवा कोई व्यक्ति जो वार्षिक रजिस्टर में दर्ज तो नहीं है, लेकिन खुद काश्त का टिनेन्ट अथवा सब टिनेन्ट है तो उसे खातेदारी अधिकार दे दिए जाएंगे इस संबंध में दो वर्ष में आवेदन प्रस्तुत किए जाने के प्रावधान है। इसी तरह धारा 19(2ए) और धारा 19(3) को भी दिनांक 29.12.79 को संशोधित किया गया है। इस संबंध में अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1987 आर.आर.डी. पेज 304, 1988 आर.आर.डी. पेज 585 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के दौरान धारा 19 के तहत आवेदन पेश नहीं करता है, तो वह व्यक्ति धारा 88 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत कभी भी वाद प्रस्तुत कर सकता है और अपना अनुतोष अर्थात् खातेदारी प्राप्त कर सकता है।

13. जहां तक आवेदन आदेश 7 नियम 11 में वर्णित धारा 36 सीलिंग अधिनियम का प्रश्न है, धांरा 36 इस प्रकार है, "धारा 36 सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन – (1) किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न अथवा मामले को विनिश्चित करने या उसमें कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राधिकृत अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय अथवा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (2) किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को भूमि अंतरण के किसी संविदा के यथावत् पालन के निमित किसी ऐसे वाद को ग्रहण करने अथवा उसमें कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी, जो इस अधिनियम के अधीन अधिशेष भूमि पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रभावित करता है।" धारा 36(1) में दिए गए प्रावधान अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए जाने वाले विनिश्चय अथवा कार्यवाही के प्रश्न एवं मामले को विनिश्चित करने की अधिकारिता सिविल व राजस्व न्यायालय को नहीं होने बाबत प्रावधान है। इसी तरह धारा 36(2) में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किसी अंतरण की संविदा के पालन का वाद सिविल व राजस्व न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। उपरोक्त धारा 36 के दोनों उपधारा में इस बाबत कहीं भी रोक अथवा वर्जन नहीं है कि किसी तीसरे व्यक्ति के खातेदारी अधिकार विधिनुसार उत्पन्न हो गए हो, तो वह उसकी घोषणा का वाद पेश नहीं कर सकता हो।

14. इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पेश किया, में 1991 आर.आर.डी. पेज 397 में माननीय राजस्व मण्डल ने स्पष्ट रूप से धारा 36 की व्याख्या करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि "(b) Raj. Imposition of Ceiling on Afrl. Holding Act, 1973 (New Ceiling Law), Section 36 - The Section bars the jurisdiction of civil or revenue courts only in respect of matters required to be decided or dealt with by the Authorised Officer - Declatarion of Khatedari or issue of injunction is not to be decided by ceiling authorities and, therefore, the jurisdiction of the civil or revenue courts in such matters is not barred"

इस तरह से उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में पैरा संख्या 10 में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि खातेदारी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का दावा राजस्व न्यायालय द्वारा ही सुना जाएगा। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के पैरा संख्या 12 में भी यही व्यवस्था तय की हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

15. दूसरा न्यायिक दृष्टांत 1985 आर.आर.डी. पेज 96 में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा पैरा संख्या 4 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "thus, first of all respondent number 6 & 7 can be asked to surrender the excess land out of land which is in there possession. If the obligation of res. no. 6 &7 for any reason can not be enforced against in respect of the land in there possesion then it would be open to the petitioners to enforced there right by resorting to the remedy of a suit for

decleration and injunction not only against res. no. 6 & 7 but also against State of Rajasthan."

16. इसके अलावा 1980 आर.आर.डी. पेज 93 के न्यायिक दृष्टांत में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अगर सीलिंग कानून के तहत निर्णय होकर भूमि अधिग्रहण के आदेश दे दिए गए हो और अंतरणों को मान्यता नहीं दी गई हो, तो वे क्रेतागण भी राज. टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है और वाद पेश कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों अनुसार एवं धारा 36 अनुसार किसी भी दस्तावेज के आधार पर कोई भी व्यक्ति खातेदारी घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने हेतु किसी प्रकार का कोई वर्जन नहीं है, भले ही सीलिंग का मुकदमा लंबित हो, केवल उक्त प्रावधान के तहत व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय को चुनौती नहीं दे सकता है। वकील अपीलाण्ट के उक्त कथन कि हस्तगत प्रकरण में तो जिस सीलिंग मुकदमे का वर्णन रेस्पोडेण्ट संख्या दो ने आदेश 7 नियम 11 के आवेदन में दिया गया है, उसमें केवल उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा नोटिस जारी किए गए, जिसके विरुद्ध रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय में रिट याचिका तत्समय से ही पेश है और उसमें अर्थात् सीलिंग कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही नहीं किए जाने बाबत स्थगन आदेश है ऐसी स्थिति में न तो कोई सीलिंग कानून के तहत निर्णय हुआ है, न ही भूमि अधिग्रहण की गई है। भूमि आज भी रेस्पोडेण्ट संख्या एक के खातेदारी में ही है। उपरोक्त तथ्यों का रेस्पोडेण्ट की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

17. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार पूर्व में उपरोक्त भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या एक के मालिकाना हक–हकूक, अधिकार की थी, लेकिन लैण्ड ऑनर एस्टेट एक्ट 1963 प्रभाव में आने के बाद भूमि के मालिकाना अधिकार खत्म करते हुए खातेदारी अधिकार दिए गए हैं। उपरोक्त भूमि रेस्पोडेण्ट महाराजा की मालिकाना थी, जिस पर

अपीलाण्ट का कब्जा व काश्त था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के पद संख्या 17 से 19 में वर्णित तथ्यों का भी रेस्पोडेण्ट्स की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। लगान लैण्ड ऑनर्स एस्टेट एक्ट 1963 प्रभाव में आने के समय से एवं उक्त अधिनियम को वर्ष 1975 में संशोधित किए जाने के समय से रेस्पोडेण्ट संख्या दो भूमिधारी द्वारा अपीलाण्ट से ही वसूल किया जा रहा है इस बाबत उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश भी पारित किया गया है, साथ ही वर्ष 1974–75 में काश्त करने वाले व्यक्तियों के नाम राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र अनुसार दो वर्ष दर्ज किए गए थे, जिस अनुसार भी अपीलाण्ट का नाम उपरोक्त अपील में वर्णित खसरा नंबर व रकबा का काश्त दर्ज है, जिसका खसरा गिरदावरी में अंकन है।

18. इसके अलावा संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंतरित की गई भूमि पर पूर्व स्वामी का मालिकाना हक और हकूक समाप्त हो जाते हैं। अपीलाण्ट/उसके पूर्वजों के पक्ष में जिस दस्तावेज से अंतरण किया गया है, उससे उनके स्वामित्व एवं हकूक की भूमि हो जाती है। यह प्रकरण भी इसी श्रेणी का है। इसके अलावा जब समान प्रकरणों में पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा निर्णित किए जाकर अपीलें स्वीकार की जा चुकी हैं ऐसी स्थिति में उससे उपरोक्त प्रकरण भिन्न नहीं होने से अलग से साक्ष्य इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती है। इस आधार पर भी अपील स्वीकार योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

19. जहां तक धारा 36 सीलिंग अधिनियम का प्रश्न है, वह विनिर्दिष्ठ अनुतोष अधिनियम के तहत वाद पेश करने के संबंध में और प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किए गए विनिश्चय के संबंध में वर्जन बाबत है, जिसके आधार पर अपीलार्थी को अनुतोष से इंकार नहीं कियाजा सकता, क्योंकि अपीलार्थी का वाद न तो प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा पारित विनिश्चय के विरुद्ध है, न ही संविदा की पालना के

संबंध में विनिर्दिष्ठ अनुतोष अधिनियम के तहत पेश किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य है।

20. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 36 सीलिंग अधिनियम की गलत व्याख्या की गई है। विधिक रूप से खातेदारी घोषणा के वाद बाबत धारा 36 सीलिंग अधिनियम में ऊपर वर्णित दृष्टांतों अनुसार किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। जब समान मामलों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं द्वारा पूर्व में वाद स्वीकार कर खातेदारी दी गई है एवं लिखित बहस में वर्णित अनुसार इस न्यायालय द्वारा भी अलग–अलग अपील संख्या 35/14 से 42/14 में दिनांक 4.7.14 को अपील स्वीकार कर खातेदारी अधिकार दिए गए हैं, जिसके संबंध में रेस्पोडेण्ट्स की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई, न ही उपरोक्त इसी न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अलग–अलग निर्णय व डिक्री के विरुद्ध कोई कार्यवाही की हो, बाबत कोई तथ्य पेश नहीं किए गए हैं। जब समान मामलों में अधीनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा एवं इस न्यायालय द्वारा अलग–अलग समय में खातेदारी अधिकार दे दिए गए हैं और वे सभी निर्णय व डिक्री आज दिन तक प्रभाव में है, उन्हें चुनौती नहीं दी गई है ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपील को विधिवत् स्वीकार किया जाना विधि सम्मत है।

21. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में अपील स्वीकार योग्य है, लेकिन उपरोक्त अपील स्वीकार किए जाने से राज्य सरकार को स्टाम्प ड्युटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो इसलिए हम यह उचित समझते हैं कि उपरोक्त अपील के निर्णय की दिनांक की डी.एल.सी. दर से उपरोक्त अपील में वर्णित भूमि की विधिनुसार स्टाम्प ड्युटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की राशि भूमिधारी तहसीलदार, पाली अपीलार्थी से वसुल करने का अधिकारी है और उपरोक्त राशि भूमिधारी तहसीलदार, पाली द्वारा वसूल किए जाने के पश्चात् अपीलार्थी अपना नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज करवाने का विधिनुसार अधिकारी होगा।

लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाते हैं तथा अपीलार्थी को ग्राम भाम्बोलाई के खसरा नंबर 23 रकबा 50 बीघा का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है और अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी में अमल–दरामद किए जाने और वाद में वर्णित अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश पारित किया जाता है। भूमिधारी तहसीलदार, पाली उपरोक्त निर्णय व डिक्री की पालना में अपीलार्थी से आज दिनांक की डी.एल.सी. दर से स्टाम्प ड्युटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूल कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज करें, साथ ही रेस्पोडेण्ट के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अपीलार्थी के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग में दखलंदाजी न तो स्वयं करें, न ही अन्य से करावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑर्डर 41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "4" 9)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/40/2019

1. बद्रीसिंह पुत्र स्व. श्री अमरलाल उम्र 64 वर्ष, जाति रावणा राजपूत, निवासी सरदार समंद फार्म, पो. दुदिया, तहसील रोहट, जिला पाली
2. जयसिंह पुत्र स्व. श्री अमरलाल, उम्र 54 वर्ष, जाति रावण राजपूत, निवासी सरदार समंद फार्म, पो. दुदिया, तहसील रोहट, जिला पाली
3. श्रीमती सोनीदेवी पत्नी स्व. श्री अमरलाल जी उम्र 88 वर्ष, जाति रावणा राजपूत, निवासी सरदार समंद फार्म, पो. दुदिया, तहसील रोहट, जिला पाली
4. श्रीमती पानीदेवी पत्नी श्री बंशीसिंहजी पुत्र स्व. श्री अमरलालजी, उम्र 67 वर्ष जाति रावणा राजपूत, निवासी गिरादडा खालसा तहसील व जिला पाली
5. श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री नाथुसिंहजी पुत्री स्व. श्री अमरलालजी उम्र 59 वर्ष, जाति रावणा राजपूत, निवासी 937,सी, व डी रोड सरदारपुरा, जोधपुर
6. श्रीमती छोटूदेवी पत्नी श्री चंद्रसिंहजी पुत्री स्व. श्री अमरलाल जी उम्र 57 वर्ष, जाति रावणा राजपूत, निवासी सोमनाथ मार्ग, पाली तहसील व जिला पाली

...... अपीलार्थीगण

ब ना म

1. हिज हाईनेस श्री महाराजा साहब श्री गजसिंहजी साहब, पता :– उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर (राज.)
2. राज. राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राज.)

...... रेस्पोडेण्ट्स

अपील संख्या 40/2019 बनाराजगी निर्णय व डिक्री अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली दिनांक 20.5.19 बमुकदमा राजस्व वाद संख्या 40ए/16

दावा बाबत 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह अपील बतारीख 16/01/2020 को रूबरू हमारे व बहाजिर श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी, रेस्पोडेण्ट संख्या एक अनुपस्थित एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो सरकारी पैरोकार समायत होकर हुक्म हुआ कि लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाते हैं तथा अपीलार्थी को ग्राम भाम्बोलाई के खसरा नंबर 23 रकबा 50 बीघा का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है और अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी में अमल–दरामद किए जाने और वाद में वर्णित अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश पारित किया जाता है। भूमिधारी तहसीलदार, पाली उपरोक्त निर्णय व डिक्री की पालना में अपीलार्थी से आज दिनांक की डी.एल.सी. दर से स्टाम्प ड्युटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूल कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज करें, साथ ही रेस्पोडेण्ट के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जाती है कि अपीलार्थी के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग में दखलंदाजी न तो स्वयं करें, न ही अन्य से करावें। डिक्री पर्चा जारी हो। बसिब्त मेरे हस्ताक्षर मुहर अदालत आज तारीख 16/01/2020 को जारी किया गया।

मुहर अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)